जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./11/डी–1757 दिनांकः–23/11/11

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 84वीं बैठक दिनांकः 21.10.11 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		84:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 82वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन व 52वीं बैठक से 82वीं बैठक तक लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 82वीं बैठक दिनांक 21.09.11:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 82वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया व 52वीं से 82वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। जिन प्रकरणों में पालना रिपोर्ट अवशेष है आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के उपायुक्तों को निर्देश दिये गये।
2.	1	84:2	श्री कल्याण प्रसाद मीना पुत्र श्री जय नारायण मीना, प्लाट नं. ए–348, मालवीय नगर को मूलरूप से आवंटित क्षेत्रफल से बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 2.64 वर्गगज आवंटन के संबंध में।	श्री कल्याण प्रसाद मीना पुत्र श्री जय नारायण मीना, प्लाट नं. ए–348, मालवीय नगर को मूलरूप से आवंटित क्षेत्रफल में 2.64 वर्गगज़ भूमि बढे हुए क्षेत्रफल को क्षेत्र की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
3.	9	84:3	रामनगरिया विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या बी–462 से बी–469 की रीप्लानिंग कर बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन बाबत।	रामनगरिया विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या बी–462 से बी–469 की रीप्लानिंग की गई, जिसके अनुसार भूखण्ड सं. 465 का क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर का है, इस भूखण्ड की लीजडीड व साईट प्लान पूर्व में जारी किया जा चुका है, किन्तु भूखण्ड सं. 465 के पूर्व में भूखण्ड सं. 466ए नया सृजित हुआ है। अतः भूखण्ड सं. 465 के साईट प्लान के पूर्व की ओर 466ए संशोधित किया जावे व भूखण्ड सं. 466ए को नीलामी से निस्तारण किया जावे। उक्त भूखण्डो में बढे हुए क्षेत्रफल को आवासीय आरक्षित दर की दुगनी दर ली जाकर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4.	13	84:4	श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री वचन सिंह अर्जुन अवार्डी, 31 पश्चिम विहार सिरसी रोड वैशाली नगर, जयपुर को भूमि आवंटन बाबत।	श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री वचन सिंह अर्जुन अवार्डी को जविप्रा की राजभवन आवासीय योजना में भूखण्ड सं. बी–206 क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर का आवंटन राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17ए के अनुसार वर्तमान आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

5.	12	84:4(1)	आनंद लोक योजना में कोर्ट केस से प्रभावित भूखण्डों को विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	जविप्रा के परिपत्र दिनांक 25.02.09 के परिपेक्ष्य में पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
6.	4 8	84:4(2)	ई.पी. के सामने 200 फीट रोड निर्माण में आ रही दुकान सं. 52, 53 एवं 54 (प्रत्येक 50 वर्गगज) कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज को पुनर्वास के रूप में दुकन के बदले दुकान देने बाबत।	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री चौथूराम शर्मा ने ई.पी. के सामने 200 फिट रोड निर्माण में आई दुकान सं. 52, 53, 54 प्रत्येक 50 वर्गगज कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज पुनर्वास के रूप में आवंटन की मांग की है। दिनांक 05.04.10 को आयोजित एलपीसी की बैठक में दुकान सं. 53 के सर्वेधारी श्री जगदीश शर्मा को टोंक रोड स्थित सुखपुरिया ग्राम में जविप्रा के स्वामित्व की दुकानो में से 1 दुकान सं. 38 क्षेत्रफल 13.50 वर्गमीटर वाणिज्यिक आरक्षित दर 35000/–रू. प्रति वर्गमीटर पर आवंटन की अभिशंषा का निर्णय लिया गया। इसकी स्वीकृति राज्य सरकार से दिनांक 24.06.10 को प्राप्त हुई। आवेदक शेष 133 वर्गमीटर भूमि और आवंटन चाहता है। आवेदक द्वारा हथरोई गढी सहकारी समिति के आवंटन पत्र व साईट प्लान की सत्यापित फोटोप्रति प्रस्तुत की हैं, जिसके अनुसार उसे भूखण्ड सं. 52, 53 व 54 कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज भूमि गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित थी। आवेदक के प्रकरण पर मुख्य विधि सहायक, जोन–4 व अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) द्वारा जांच करने पर दुकान सं. 52, 53, 54 पर प्रार्थी का स्वामित्व माना गया है। अतः पूर्व में अन्य प्रकरणों में लिये गये निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी को 150 वर्गगज भूमि दिया जाना न्यायोचित है। जोन–4 के क्षेत्राधिकार में आवंटन योग्य दुकाने/व्यावसायिक भूखण्ड उपलब्ध न होने के कारण जोन–8 के क्षेत्र के अन्तर्गत टोंक रोड स्थित सुखपुरिया ग्राम की पुलिस स्टेशन के पास स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की दुकानो का आवंटन प्रार्थी द्वारा चाहा गया है। एलपीसी की बैठक 05.04.10 में दुकान सं. 38 क्षेत्रफल 13.50 वर्गमीटर का आवंटन किया जा चुका है। एलपीसी की 83वीं बैठक दिनांक 30.09.11 में 88.88 वर्गगज भूमि वाणिज्यिक दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण पर विचार–विमर्श कर एलपीसी के पूर्व निर्णय दिनांक 30.09.11 में संशोधन करते हुए जोन–8 के क्षेत्राधिकार में निजी खातेदारी योजना में सेक्टर रोड पर निजी खातेदारी की योजनाओं में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड (दुकाने) जिनका क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज है, का आवंटन क्षेत्र की वाणिज्यिक दर पर करने का निर्णय लिया गया।
7.	6	84:4(3)	ईस्लामी कमेटी मुरलीपुरा को मुरलीपुरा सुविधा क्षेत्र में मस्जिद हेतु भूमि आवंटन बाबत।	एलपीसी की 78वीं बैठक दिनांक 27.06.11 में लिये गये निर्णय के क्रम में जिला कलक्टर, जयपुर से राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 08.09.10 के पेरा 2 में वर्णित बिन्दु पर जिला कलक्टर जयपुर ने यह टिप्पणी दी है कि "मौके पर मस्जिद के चारो तरफ रास्ता है, सार्वजनिक आवागमन पर कोई

				प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड रह है एवं स्थानीय निवासियो को भी आवागमन में कोई असुविधा नहीं है।'' राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस् ने अपने पत्र दिनांक 02.08.11 में ईस्लामी कमेटी को भूमि आवंटित की जाती है, तो बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है, अंकित किया है। ईस्लामी कमेटी ने वर्ष 1983 से मस्जिद निर्मित होकर 1986 में राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस् से पंजिकृत होना बताया है व ततसंबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये है, जबकि जेडीए ने उक्त भूमि को सार्वजनिक सुविधा में परिवर्तन प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी की बैठक दिनांक 08.05.97 में किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.02.10 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के आदेश क्रमांक 9(5) राज–6/2010/7 जयपुर दिनांक 08.09.10 की पालना में जिला कलक्टर, जयपुर व वक्फ बोर्ड से प्राप्त पत्र के आधार पर सर्वसम्मति से प्रश्नगत भूमि मस्जिद हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस् द्वारा गठित कमेटी के द्वारा उक्त मस्जिद का रखरखाव किया जावेगा। इसका अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(सदस्य सचिव, पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव (पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 84वी बैठक दिनांक 21.10.11 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री कुलदीप रांका, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शुचि शर्मा, कार्यवाहक सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्री वी.एस. सुण्डा, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
6.	श्री पुखराज सैन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
8.	श्री रामअवतार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री राजेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
10.	श्री राजेश कुमार चौहान, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
11.	श्री अशोक शर्मा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
12.	श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
13.	श्री दिनेश पंवार, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
14.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–12 व 13	विशेष आमंत्रित
15.	डा0 सत्यप्रकाश, तहसीलदार, जोन–2	विशेष आमंत्रित
16.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित